UPLL010029852022

न्यायालय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (POCSO Act), ललितपुर।

उपस्थित– गुलाब सिंह–II, उच्चतर न्यायिक सेवा,

J.O. CODE–UP–5942

दाण्डिक अपील संख्या– 54 वर्ष 2022,

अपीलार्थी/बाल अपचारी "X" पुत्र बृजेश साहू संरक्षिका श्रीमती लक्ष्मी पत्नी बृजेश साहू निवासी मुहल्ला पुराना सूचना केन्द्र के पास, आजादपुरा, सिविल लाइन, ललितपुर, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर।

.....अपीलार्थी/बाल अपचारी

बनाम

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।

.....विपक्षीगण/अभियोजन पक्ष

मुकदमा अपराध संख्या 595/2022

अंतर्गत धारा 411, 414 भा०दं०सं०

थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 101 किशोर न्याय अधिनियम

अपीलार्थी/बाल अपचारी की ओर से– राजेश श्रीवास एडवोकेट

अभियोजन की ओर से– श्री नरेन्द्र पाल सिंह गौर, विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो)

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक अपील, अपीलार्थी/बाल अपचारी "X" की ओर से उसकी माँ द्वारा मु०अ०सं० 595/2022, अर्न्तगत धारा 411, 414 भा०दं०सं० थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सं० 16/2022, जो विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनाँक 06–10–2022 को निरस्त किया गया है, से क्षुब्ध होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उप निरीक्षक साबिर अली द्वारा दिनाँक 09–09–2022 को समय 03–18 बजे थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर में फर्द बरामदगी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय से पंजीकृत करायी गयी कि,दिनॉक 08–09–2022 को वह उप निरीक्षक अंकित कौशिक, आरक्षी कुलदीप व आरक्षी रवि कुमार के साथ शान्ति व्यवस्था में शनिचरा चौराहा पर मौजूद था व अपराध की रोकथाम के सम्बन्ध में पुलिस दल आपस में बातचीत रहे थे कि इसी समय मुखबिर से सूचना मिली की दो व्यक्ति लाल स्कूटी से चोरी की बैटरी लेकर आ रहे हैं, जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर गवाहन फराहम करने का प्रयास

किया किन्तु कोई व्यक्ति बुराई भलाई के कारण तैयार नहीं हुआ। पुलिस दल ने आवश्यक बल प्रयोग करके आजाद चौक से हाइवे की ओर 50 कदम की दूरी पर रोड पर ही पकड़ लिया। नाम, पता पूछने पर एक ने अपना नाम अभिषेक भटनागर, दूसरे ने अपना नाम बाल अपचारी ''X'' बताया। उक्त लोगों ने यह भी बताया कि झोले में एक चोरी की बैटरी है, जिसके पकड़े जाने का भय से भागने का प्रयास किया था। झोले के अंदर एक अदद बैटरी, एक पेंसकस, एक हथौड़ी लोहा , एक अदद गिलेण्डर मशीन व बैल्डिंग मशीन बरामद हुयी। पूछतांछ पर बताया कि पाँच बैटरियां चोरी की थी, चार बैटरी किराये कमरे पर वर्णी चौराहा पर रख दिया है। इस बैटरी को भी किराये के कमरे पर ले जाकर जा रहे थे। स्कूटी UP–80/EZ–6682 के सम्बन्ध में पूछने पर अभिषेक भटनागर ने बताया कि यह उसके रिश्तेदार की है। अभियुक्तगण को समय 23–40 बजे मय माल अभिरक्षा में लिया गया तथा उनकी निशानदेही पर मकान मालिक राजेन्द्र सिंह बुन्देला के मकान के कमरे के अंदर से 26 बैटरियाँ छोड़ी बड़ी विभिन्न कम्पन्नियों की बरामद हुयी। जिन्हें कब्जे में लेकर सील सर्व मुहर कर कब्जे में लिया गया। मौके पर फर्द तैयार की गयी। दोनों अभियुक्तों की सहमति से फर्द की प्रति अभियुक्त अभिषेक को दी गयी।

3. वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत फर्द बरामदगी के आधार थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर में अभिषेक भटनागर एवं बाल अपचारी ''X'' के विरूद्ध धारा 41 दं०प्र०सं० एवं 411, 414 भा०दं०सं० में अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. अपीलार्थी/बाल अपचारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाण्डिक अपील में यह कथन किया गया है, कि बाल अपचारी बेगुनाह व बेकसूर है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे पुलिस द्वारा फर्जी बरामदगी के आधार पर झूठा फंसाया गया है। बाल अपचारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अपीलार्थ/बाल अपचारी का जमानत आवेदनपत्र निरस्त करके विधिक त्रुटि कारित की गयी है, बाल अपचारी के जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते समय अपराध की गम्भीरता पर विचार नहीं करना होता है, बल्कि यह देखा जाना होता कि बाल अपचारी को जमानत पर छूटने के उपरान्त उसको उचित संरक्षण प्राप्त होगा या नहीं ? जबकि बाल अपचारी के कहीं भागने या फरार होने, ज्ञात अपराधियों के साथ जाने एवं न्याय का उद्देश्य विफल होने की कोई सम्भावना नहीं है। इसी आधार पर उसके द्वारा अपील स्वीकार किया जाकर दौरान जाँच कार्यवाही जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) द्वारा दाण्डिक अपील का विरोध करते हुये कथन किया गया कि बाल अपचारी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत पर छोड़े जाने पर बाल अपचारी जमानत की शर्तों का दुरूपयोग करेगा तथा साक्षीगण पर दबाव बनाकर जाँच कार्यवाही को प्रभावित करेगा। इसी आधार पर दाण्डिक अपील निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. दाण्डिक अपील पर अपीलार्थी/बाल अपचारी के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) की बहस को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिषेक भटनागर एवं बाल अपचारी ''X'' के विरूद्व पंजीकृत करायी गयी है। बरामदगीस्थल सार्वजनिक स्थान बताया गया है तथा बरामदगी की घटना के सम्बन्ध में कोई जनता का व्यक्ति नहीं बताया गया है, जो भी साक्षी बताये गये हैं, वे सभी पुलिस कर्मी हैं।

8. किशोर अपचारी को जमानत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में धारा 12(1) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में यह प्रावधान किया गया है कि–

"जब कोई ऐसा व्यक्ति, जो प्रकट रूप से बालक है तथा कोई जमानतीय या गैर जमानतीय अपराध कारित करने के लिये अभिकथित किया गया है, किसी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार या निरूद्व किया जाता है या किसी बोर्ड के समक्ष स्वयं उपसंजात होता है या लाया जाता है, तब दं०प्र०सं० 1973 (1974 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, ऐसे व्यक्ति को प्रतिभू सहित या रहित जमानत पर छोड़ दिया जायेगा या किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देख–रेख के अधीन रखा जायेगा।''

परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार तब नहीं छोड़ा जायेगा, यदि यह विश्वास करने का युक्ति–युक्त आधार प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति को छोड़े जाने से वह किसी ज्ञात अपराधी के साहचर्य में आने के लिये या किसी नैतिक, शारीरिक या मनौवैज्ञानिक खतरे में पड़ने के लिये सम्भाव्य है या उस व्यक्ति को छोड़ना न्याय के उददेश्यों को विफल कर देगा तथा बोर्ड ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इन्कार करने के लिये कारणों और उन परिस्थितियों, जो ऐसा निर्णय लेने को अग्रसर करती है , अभिलिखित करेगा।

9. अधिनियम की धारा 12 में वर्णित उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त तीन दशाओं में किसी किशोर की जमानत निरस्त किया जा सकता है, यदि यह विश्वास करने का यह युक्ति–युक्त आधार प्रतीत होता हो कि–

(i)– यदि उसका छोड़ा जाना, उसे किसी ज्ञात अपराधी के साहचर्य अथवा सानिध्य में ला देगा,

(ii)– उसे किसी प्रकार से नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल देगा,

(iii)– उसका छोड़ा जाना न्याय के उददेश्यों को विफल कर देगा,

यहां यह स्पष्ट है कि अपराध की गम्भीरता जमानत के नामंजूर करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है, लेकिन यदि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि किशोर को जमानत पर रिहा किये जाने से न्याय का उददेश्य विफल हो जायेगा तो उसका जमानत प्रार्थनापत्र नामंजूर किया जा सकता है।

10. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 2701/2014 अंकित बाबू शर्मा (माईनर)बनाम राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य** [निर्णय तिथि 20.04.2015] के मामले में यह अवधारित किया गया कि–

> Merely by declaration of being a juvenile does not entitle a juvenile in conflict with law to be released on bail as a matter of right. The act has a solemn purpose to achieve betterment of juvenile offenders but it is not a shalter home for those juvenile offenders who have got criminal proclivities and a criminal psychology. It has a reformative approach but does not completely shun retributive theory. Legislatutre has preserved larger interest of society even in cases of bail to a juvenile. The Act seeks to achieve moral, physical and psychological betterment of juvenile offender and therefore if, it is found that the ends of justice will be defeated or that goal desired by the legislature can be achieved by detaining a juvenile offende in a juvenile home, bail can be denied to him. This is perceptible from phraseology of Section 12 itself. Legislature in its wisdom has therefore carved out exceptions to the rule of bail to a juvenile.

11. इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 4009/2017 **मंगेश राजवीर बनाम राज्य उत्तर प्रदेश व अन्य** में भी यह अवधारित किया गया है कि–

> The gravity of the offence is certainly relevant though not decisive. It is this relevance amongst other factors where gravity of the offence committed works and serves as a guide to grant or refulse bail in conjunction with other relevant factors to refule bail on the last ground mentioned in the proviso to Section 12(1) of the Act, that is to say, on ground that release would "defeat the ends of justice."

12. माननीय उच्च न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के क्रम में अपचारी के मानसिक एवं नैतिक चरित्र को दृष्टिगत रखने पर पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी/बाल अपचारी की उम्र घटना के दिनाँक को 12 से 13 वर्ष के बीच थी। अपीलार्थी के माता–पिता, अपीलार्थी को उचित संरक्षण देने के लिए तैयार हैं। अपीलार्थी की माँ/संरक्षिका श्रीमती लक्ष्मी पत्नी बृजेश साहू द्वारा शपथपत्र 7ख प्रस्तुत करके कथन किया गया है कि अपीलार्थी/बाल अपचारी उसका पुत्र है। जमानत पर छूटने के बाद वह उसे अपने संरक्षण में रखेगी, उचित देख–रेख व पालन–पोषण करेगी तथा किसी भी ज्ञात/अज्ञात अपराधियों की संगत से दूर रखेगी। ऐसी स्थिति में यदि अपीलार्थी /बाल अपचारी को जमानत पर रिहा किया गया तो उसे किसी ज्ञात अपराधी के साहचर्य अथवा सानिध्य में जाने तथा किसी प्रकार से नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने एवं न्याय के उद्देश्यों को विफल करने की संभावना दर्शित नहीं होती है।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्य अभियुक्त अभिषेक भटनागर की जमानत सत्र न्यायालय से दिनाँक 22–09–2022 को स्वीकार की जा चुकी है।

13. मामले के उक्त वर्णित सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा बाल अपचारी की उम्र व कारित कृत्य को दृष्टगित रखते हुये यह स्पष्ट है, कि विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अपीलार्थी/बाल अपचारी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करके विधिक, प्रक्रियात्मक एवं तात्विक त्रुटि की गयी है, जिस कारण आलोच्य आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। तदनुसार वर्तमान दाण्डिक अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

14. वर्तमान दाण्डिक अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा मु०अ०सं० 595/2022, अर्न्तगत धारा 411, 414 भा०दं०सं० थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर में अपीलार्थी/बाल अपचारी "X" द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सं० 16/2022 पर पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 06–10–2022 निरस्त किया जाता है।

15. अपीलार्थी की ओर से उसकी संरक्षिका द्वारा मुबिलग एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो स्थानीय एवं विश्वसनीय प्रतिभू एवं इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल किये जाने पर कि अपीलार्थी के संरक्षक अपीलार्थी को किसी ज्ञात अपराधी के साहचर्य अथवा सानिध्य में नहीं जाने देंगे, अपीलार्थी पर किसी प्रकार से नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरा उत्पन्न नहीं होने देंगें एवं न्याय के उददेश्यों को विफल नहीं करेंगें। उक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर, अपीलार्थी की जमानत स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

16. विद्वान किशोर न्याय बोर्ड का अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब वापस प्रेषित किया जाये।

दिनाँक– 01–11–2022

(गुलाब सिंह–II),
प्रभारी अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (POCSO Act),
ललितपुर।
J.O. CODE–UP–5942

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनाँक– 01–11–2022

(गुलाब सिंह–II),
प्रभारी अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (POCSO Act),
ललितपुर।
J.O. CODE–UP–5942

Digitally signed by GULAB SINGH
Date: 2022.11.01 18:47:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court